(26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक
(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2019
प्रविष्टि दिनांक 26.03.2019
निर्णय दिनांक 04.04.2019

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, टोंक

..... सायल

बनाम

श्री बाबूलाल पुत्र नन्दलाल जाति कोली निवासी संधपुरा थाना पुरानी टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार
2– गैर सायल

निर्णय दिनांक 04.04.2019

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल बाबूलाल पुत्र नन्दलाल जाति कोली निवासी संधपुरा थाना पुरानी टोंक जिला टोंक के विरूद्व यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बने रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया गैर सायल द्वारा आरोपों से इन्कार किया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। बहस सुनी गई।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्व तहत अभियोग क्रमशः 111/2002 दिनांक 30.06.2002,143/2010 दिनांक 24.11.2010,58/2012 दिनांक 09.05.2012 व 02/2018 दिंनांक 08.01.2018 थाना पुरानी टोंक को धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि उक्त अभियोग जुआ अधिनियम से संबंधित है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों से समाज के लोंगो पर काफी बुरा असर पड रहा है। अतः गैर सायल को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल 13 आरजीपीओ के है न कि किसी वडे अपराध अपहरण, हत्या, वलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संवंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा सहायक लोक अभियोजक एवं गैर सायल की वहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण 13 आरजीपीओ (जुआ/सटटा खेलने, खिलाने) से संवंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने व खिलाने का आदी है इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था वनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल वावूलाल पुत्र नन्दलाल जाति कोली निवासी संधपुरा थाना पुरानी टोंक जिला टोंक को दिनांक 30.04.2019 तक की अवधि के लिए विधान सभा आम चुनाव 2018 मे शांति व्यवस्था वनाये रखने हेतु जिला टोंक से जिला वून्दी के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पावन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना नैनवा जिला वून्दी के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संवंध में थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संवंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्वन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

Scanned by CamScanner